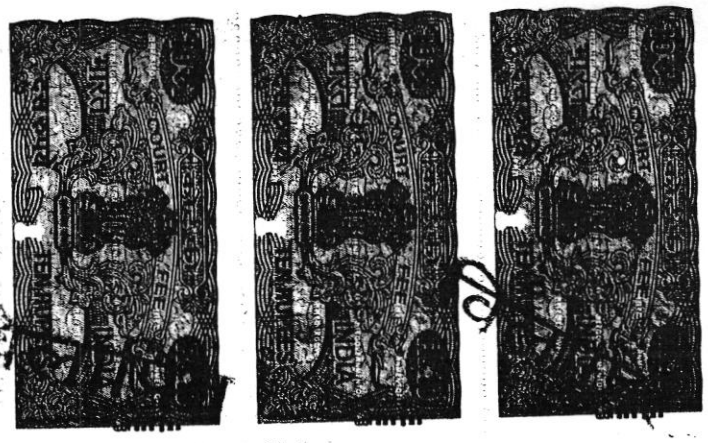

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी / आवेदक कमांक– R 1085–I–17

ओमप्रकाश तनय मुकुटबिहारी अग्रवाल निवासी परवारीपुरा झांसी हाल प्रतापपुरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

निगराकार

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

प्रति निगराकार

श्री ... द्वारा आज दि. ...4.4.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

## आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

प्रस्तुत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 145 / बी–121 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2017 के प्रतिकूल श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

महोदय,

आवेदक के आवेदन के संबंध में विनय निम्न प्रकार है :–

1. यह कि भूमि स्थित ग्राम प्रतापपुरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) खसरा नंबर 22 / 2 रकवा 1.000 हेक्टेयर आवेदक की स्वामित्व की भूमि से लगा हुआ रकवा है, जिस पर आवेदक के कई बरसों से कब्जा निस्तार एवं आवेदक उक्त भूमि पर रास्ता से अपनी भूमि पर आता–जाता है। आवेदक को उक्त भूमि के अधिकार शासन मध्यप्रदेश के असाधारण अध्यादेश दिनांक 21.08.2015 के अनुसार भू स्वामी घोषित किया जा सकता है एवं सहिता के प्रावधान के अनुसार कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जहां आवेदन प्रस्तुत करते हुए सुनवाई की गई एवं दिनांक 14.03.2017 को प्रकरण यह कहते हुए निरस्त किया कि शासन द्वारा अध्यादेश निरस्त कर दिया है एवं भू स्वामी घोषित नहीं किया जा सकता है, इस तरह आदेश

**XXXIX(a)-BR(H)-11**

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी–1085-एक/17 जिला – टीकमगढ

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 02.01.2018 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जादौन एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।<br>2/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 162 (2) के तहत प्रश्नाधीन भूमि पट्टेदार के रूप में घोषित किए जाने का आवेदन दिया गया था। जिलाध्यक्ष ने उक्त आवेदन को इस आधार पर कि संहिता में हुए द्वितीय संशोधन अध्यादेश दिनांक 21 अगस्त, 2015 को असाधारण राजपत्र दिनांक 31.12.2015 के अनुसार संशोधन को निरस्त कर दिया गया है, के आधार पर आवेदक का आवेदन सुनवाई योग्य न होने से निरस्त किया गया है। चूंकि जिस अध्यादेश के आधार पर आवेदक द्वारा पट्टाधारी घोषित किए जाने का आवेदन दिया गया है। उसे निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।<br>प्रशासकीय सदस्य | |